


राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर राशमी(पीठसीन अधिकारी कैम्प कॉटे) कैम्प :- भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र राशमीप्रशासन गांवों के संग
अभियान-2021

-: आदेश :-

प्र0सं0 :- 943/2021
 प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" के आवेदन पत्र एवं रिपोर्ट पटवारी पटवार हत्का स.म.प्रख.क.व.स., भू अ0नि0 वृत्त डि.ड.ब.मी. की रिपोर्ट तथा तहसीलदार राशमी की राजस्व अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में मौजा ने.ग.पुर. तहसील राशमी व जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबन्दी सम्वत् १९०३ के खाता संख्या १०१ में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिये जाते है :-

क्र. सं.	मौजा	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	(शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
	<u>ने.ग.पुर</u>	<u>१०१</u>	<u>श्री ०३ ख.डी.लाल</u> <u>५१२</u> <u>श्री ०३ ख.डी.लाल</u> <u>५१२</u>	<u>श्री ०३ ख.डी.लाल</u> <u>५१६</u>

श्री
 सहायक कलक्टर
 (उपखण्ड अधिकारी)
 राशमी

क्रमांक: सरिश्ता/5-11(943)2021 दिनांक :- ०१/१२/२०२१

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, राशमी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री श्री ०३ ख.डी.लाल को सूचनार्थ।

श्री
 सहायक कलक्टर
 (उपखण्ड अधिकारी)
 राशमी